न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 13/2023 तारीख दायर :–14.06..2023 दिनांक निर्णय :–06.07.2023

पटवारी हल्का पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील तहसील राजगढ जिला अलवर
2. धनसी पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील तहसील राजगढ़ जिला अलवर
3. बाबूलाल पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का पलवा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत होकर प्राप्त हुई है। मोहनलाल, धनसी, बाबूलाल पि0 ग्यारसा जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील तहसील राजगढ़ जिला अलवर उपस्थित रहे। गैरसायलान द्वारा नोटिस जवाब पेंश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान द्वारा नोटिस जवाब में साक्ष्य–सबूत पेश करने हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया गया है का अंकन किया है, जिसे स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को समय दिया गया किन्तु नियत सुनवाई तारीख पेशी को गैरसायलान अनुपस्थित रहे। गैरसायल के द्वारा कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं करने के कारण इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी की मंशा आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0स्थान राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है, चूँकी राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2079 में बैगन की काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का पलवा की रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। अतिक्रमीयान काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः–

अतिक्रमीयान श्री मोहनलाल, धनसी, बाबूलाल पि0 ग्यारसा जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम डाबला मीणा के आराजी ख0न0 आ0ख0न0 349 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0स्थान राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। पटवारी हल्का पलवा अतिक्रमित काश्त को कब्जे राज लेकर निलामी की कार्यवाही कर निलामी राशि को राजकोष में जमा कराने के निर्देश प्रदान किये जाते है। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों ढिगावड़ा एंव पटवारी हल्का पलवा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 06.07.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 38 पर सि.च.पे. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार